राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1192/2012/भीलवाड़ा.

मैसर्स लड्डूराम बाबूलाल, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ श्री के. एल. जैन, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/03/2018


निर्णय

- 1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 269 / वेट / 10—11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अविध वर्ष 2008–09 के दौरान किये गये संविदा कार्यों से प्राप्त संविदा कार्यों के लिये ई.सी. (मुक्ति प्रमाण–पत्र) प्राप्त किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अविध का कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कुल सकल प्राप्तियों रूपये 5,24,03,337/— पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. शुल्क रूपये 7,86,050/— का आरोपण किया गया। साथ ही अपीलार्थी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उनकी सकल प्राप्तियों में से 30 प्रतिशत मजदूरी राशि कम करते हुए ई.सी. शुल्क का निर्धारण किया जावे, साथ ही निष्पादित संविदा कार्यों के पेटे चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. प्रदान किया जावे। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2012 से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3

लगातार.....2

- 3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेश में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। करमुक्ति शुल्क उद्ग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजदूरी राशि पर किसी प्रकार का वैट आरोपित नहीं किया जा सकता है। बिल्डिंग कार्य होने से वेट अधिनियम में 30 प्रतिशत मजदूरी कम करनी थी, उसके बाद ही ई.सी. फीस आरोपण योग्य थी। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने कथन के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1999) 114 एस.टी.सी. 265 (कर्नाटक) मैसर्स गाउंडर एण्ड कं0 बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य पेश किया। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कुल संविदा कार्यों में से मजदूरी राशि कम की जाकर शेष राशि पर ई.सी. शुल्क की देयता निर्धारित किये जाने तथा संविदा कार्यों के निष्पादन में वैट चुकाकर क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. दिये जाने का निवेदन किया।
- 4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन किया। कथन किया कि करमुक्ति का विकल्प लिया जाना एक स्वैच्छिक कृत्य है तथा करमुक्ति का विकल्प लिये जाने के बाद इस हेतु प्राप्तियों पर विहित दर से मुक्ति शुल्क देयता बनती है। कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार ई.सी. समर्थित कार्यों के पेटे क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
- 5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।
- 6. संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी / टैक्स / 2005—80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में माल हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से, अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 का अध्ययन आवश्यक है, अधिसूचना निम्न प्रकार है:—



31

F.12(63)FD/Tax/2005-80

Dated: 11.08.2006

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) subject to the following conditions, namely:-

- (1) that in case of works contracts,
 - (i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and
 - (ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 **shall apply** for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.
- (2) that application **shall be submitted "within 60 days"** from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later;
- (3) that in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a late fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of the award of the contracts].
- (4) that on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in Form WT-3 appended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in Form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01-04-2006. A copy thereof, shall be sent to the awarder.
- (5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner:-
 - (i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contactor and all the provisions of payment of tax

31___

लगातार.....4

provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

- (ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;
- (iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;
- (6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in excution of the works contract for which exemption certificate has been granted;
- (7) that the certificate of exemption shall be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notifications; and
- (8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006

3

लगातार......5

- 7. उक्त अधिसूचना के जिरये संविदा कार्य करने वाले व्यवसायियों को 'करमुक्ति (Exemption)' इस शर्त के साथ दी गई है कि वे उक्त अधिसूचना की समस्त शर्तों का पालन करते हुए "Total Value of the Contract" पर कार्य संविदा श्रेणी अनुसार मुक्ति शुल्क का भुगतान करेंगे। कार्य संविदा व्यवसायियों को यह एक विकल्प (option) राज्य सरकार द्वारा दिया गया था जिससे उन्हें Work contract में deemed transfer of goods का लेखा रखे बिना एक विशिष्ठ शुल्क जमा कराकर 'कर' से मुक्ति प्रदान की गयी है।
- 8. उक्त अपीलार्थी द्वारा कर से मुक्ति प्राप्त करने हेतु उक्त अधिसूचना का लाभ ले लिया गया, परन्तु वो अधिसूचना में अंकित शुल्क जो Total value of contract पर देय था उसमें से स्वैच्छा से Labour खर्ची में कमी करने का क्लेम कर रहे हैं, जो पूर्णतया विधि के विरूद्ध एवं अधिसूचना का उल्लंघन मात्र है।
- 9. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1999) 114 एस.टी.सी. 265 (कर्नाटक) मैसर्स गाउंडर एण्ड कं० बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य में पण्यावर्त पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निहित था, जबिक हस्तगत प्रकरण में मुक्ति शुल्क राशि का बिन्दु निहित है। अतः तथ्यात्मक भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त से अपीलार्थी को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।
- 10. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र WT-1 में इस आशय की undertaking दी है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेगा। व्यवहारी इन्पुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं है। इस आशय की शर्त अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।
- 11. अपीलार्थी के विद्वान कर सलाहकार श्री एम.पी. शर्मा द्वारा ही राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील निर्माण कॉनफेब प्रा0 लि0 शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स भीलवाड़ा 40 टैक्स अपडेट 105 में दिनांक 10.09.2014 को इसी बिन्दु पर विस्तृत निर्णय दिया जा चुका है कि ''करमुक्ति'' प्राप्त करने के लिये अधिसूचना की शर्त अनुसार सम्पूर्ण संविदा राशि पर शुल्क अदा करना बाध्यकारी है।





- 12. उपरोक्त विवेचन के आलोक में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी की आलोच्य अविध में संविदा प्राप्तियां मुक्ति प्रमाण—पत्र से आच्छादित थी तथा अपीलार्थी इन प्राप्तियों पर विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन संविदा प्राप्तियों में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है।
- 13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (के. एल. जैन) सदस्य